राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर

क्रमांकःप.14(66)(1)RSSB/अर्थना/मा.शि.वि./पीटीआई ग्रेड–III/पा.जां/2018/3843 दिनांक : 18/6/2020

–ःःसंशोधित कार्यालय आदेशःः–

शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–III भर्ती 2018 के संबंध में बोर्ड द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक प.14(66)(1)RSSB/अर्थना/मा.शि.वि./पीटीआई ग्रेड–III/पा.जां/2018/1204 दिनांक 04.10.2019 द्वारा जारी किया गया था कि "उक्त भर्ती में अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों द्वारा पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान अनुसूचित क्षेत्र व गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में दस्तावेज सत्यापन करा लेने से रिक्त पदों के विरूद्ध वरियता से अनुसूचित क्षेत्र व गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनो में पदस्थापन हेतु अभिशंषा कर दी गई थी। परन्तु उपरोक्तानुसार जिन अभ्यर्थियों की पदस्थापन हेतु अभिशंषा अनुसूचित क्षेत्र व गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनो में की गई है, उन अभ्यर्थियों से पदस्थापन से पूर्व अनुसूचित क्षेत्र व गैर अनुसूचित क्षेत्र में से किसी भी एक क्षेत्र हेतु विकल्प पत्र शिक्षा विभाग द्वारा पदस्थापन के समय भरवाया जाना है। तद्नुसार उनके द्वारा चुने गये विकल्प क्षेत्र के अनुसार उनका पदस्थापन किया जायेगा तथा उक्त अभ्यर्थियों द्वारा जिस क्षेत्र के लिये विकल्प नही दिया जायेगा, उस क्षेत्र हेतु ऐसे अभ्यर्थियों के पदों को नॉन ज्वाईनर के रूप में रिक्त मानते हुये, नॉन ज्वाईनर पदों पर वरियता क्रम से उसी श्रेणी व क्षेत्र के अभ्यर्थियों का चयन कर पदस्थापन की अभिशंषा की जायेगी।"

उपरोक्तानुसार आदेश की अंतिम पंक्तियों में सहवन से अभ्यर्थियों के पदों को नॉन ज्वाईनर के रूप में रिक्त मानते हुये नॉन ज्वाईनर पद पर वरियता क्रम से चयन होना अंकित हो गया था। चूंकि उक्त आदेश में उल्लेखित अभ्यर्थियों को तब तक पदस्थापन आदेश ही जारी नहीं हुए थे। अतः अब उक्तानुसार आदेश दिनांक 04.10.2019 की अंतिम दोनों पंक्तियों में अंकित **"नॉन ज्वाईनर के रूप में रिक्त मानते हुए, नॉन ज्वाईनर पदों पर वरियता से चयन" के स्थान पर "सामान्य प्रक्रिया के रूप में रिक्त मानते हुए सामान्य प्रक्रिया से पदों पर चयन कर पदस्थापन की अभिशंषा की जायेगी" प्रतिस्थापित किया जाता है।**

शिक्षा विभाग द्वारा नॉन ज्वाईनर के विरूद्ध अभ्यर्थियों की चयन सूची चाहे जाने पर बोर्ड द्वारा नॉन ज्वाईनर के विरूद्ध नियमानुसार पृथक से सूची भेजी जायेगी।

उल्लेखनीय है कि उक्त तथ्यों के संबंध में यदि किसी प्रकार की किसी भी स्तर से तथाकथित भ्रामक जानकारी/सूचनाऐं प्रसारित की जाती है तो कृपया उस पर ध्यान ना देवें।

(डॉ. मुकुट बी.जांगिड़)
सचिव